न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 30 / 2024

गणेशलाल पिता कल्लुलाल जी जाति रेगर निवासी चेची तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
.............वादी

बनाम

1 कालीबाई पति बरदा जी जाति रेगर नि. रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
2 जमनालाल पिता गोमालाल जी जाति रेगर नि. रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
3 भैरूलाल पिता कालु जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
4 मगनीबाई पति कालु जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
5 रतनलाल पिता कालु जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
6 रोडी पिता देवी जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
7 शंकर पिता बरदा जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
8 सोहन पिता बरदा जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
9 श्रीमान भुमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगुँ जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
10 शाखा प्रबंधक महोदयजी, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा चेची तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
............प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री तौसिफ खॉन
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक ::– 27.10.2025

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. टेनेन्सी एक्ट

वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01 व 02 जा. दी. के तहत निम्न प्रकार सादर पेश है कि :–

यहकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की कृषि आराजीयात मौजा रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील बेगुँ में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार हैं :–

(अ.) यह कि मौजा रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील बेगुँ में वादी व प्रतिवादी संख्या एक से आठ की कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि आराजीयात स्थित है उक्त सम्पुर्ण कृषि आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या एक से आठ के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का 8 / 351 हक हिस्सा निहित हैं तथा शेष प्रतिवादी संख्या एक से आठ का हक हिस्सा निहित है। जिसकी तफसील निम्न प्रकार हैं :–

खाता संख्या	आराजीयात संख्या	रकबा (हैक्टर में)
387	1097 / 779	0.6480 है.
	कुल किता– 1 कुल रकबा–	0.6480 है.

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या एक से आठ के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड होने के कारण हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से आठ के मध्य सीमा को लेकर विवाद चल रहा हैं। उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से आठ के मध्य कानुनन विभाजन नहीं होने से मनमुटाव होकर विवाद हो रहा हैं। जिसके स्थाई समाधान हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या एक से आठ को दिनांक 23 / 03 / 2024 को तहसील बेगुँ में चलकर आपसी सहमती से आराजी का हक हिस्से तथा कब्जानुसार बंटवारा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या एक से आठ ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया और कहा कि तुम्हे आवश्यकता हो तो तुम स्वयं तहसील में दावा करके खाता अलग करवा लो इसलिये वादी को यह वाद वास्ते बंटवारा आराजीयात हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि बिनाय दावा दिनांक 23/03/2024 से आपसी सहमती से वादी ने प्रतिवादी संख्या एक से आठ को तहसील बेगुं मे चलकर उक्त आराजी का हक हिस्से तथा कब्जानुसार बंटवारा करा अलग अलग खाते में दर्ज करवाने बावत कहा तो प्रतिवादी संख्या एक से आठ ने मना कर दिया तभी से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी को हक हिस्से तथा कब्जानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से आठ के मध्य विभाजन किया जाना न्यायोचित हैं।

यह कि प्रतिवादी संख्या 09 भुमिधारी होने व प्रतिवादी संख्या 10 के यहा भुमि रहन होने से उनको वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं।

यह कि वाद कारण दिनांक 23/03/2024 को वादी ने प्रतिवादी संख्या एक से आठ को आपसी सहमती से आराजी का विभाजन कराने हेतु कहने तथा प्रतिवादी संख्या एक से आठ द्वारा मना करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं।

यह कि वाद वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद न्यायालय आपके श्रवणाधिकार में हैं।

यह कि वाद मुल्याकंन .... रूपयें कायम किया जाकर वादपत्र पुर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत हैं।

यह कि प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन प्रोसेस मय नकल वादपत्र के पेश हैं।

अतः न्यायालय श्रीमान से वादी की प्रार्थना है कि वादपत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें :–

कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या एक से आठ के मध्य मौके पर कब्जानुसार व हक हिस्सानुसार विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में अलग अलग खाते से दर्ज की जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

कि वाद व्यय एवं वकील मेहनताना भी वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी को प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रवितादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 से 8 व 10 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गयें। प्रवितादी सं0 9 भूमिधारी इस विभाजन के वादपत्र में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा वादपत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली में एक तरफा साक्ष्य वादी में साक्ष्य शपथ पत्र वादी गणेशलाल पिता कल्लुलाल रेगर प्रकाशचन्द्र पिता भैरूलाल तेली के प्रस्तुत कर मुख्य परीक्षण में दस्तावेज प्रदर्श कराते हुए वादी साक्ष्य को पूर्ण किया गया। पत्रावली में साक्ष्य वादी की एकतरफा पूर्ण होने के पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी एक तरफा बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए जमाबंदी में दर्ज वादी का हिस्सा 8/351 का बंटवाडा कर खाता पृथक करने का निवेदन किया गया। बहस सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तत प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वादी का वर्णित कृषि आराजी में 8/351 हिस्सा दर्ज अंकित है। वादी अपने हिस्से का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 आर.टी.एक्ट. के तहत प्राप्त है। जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने एवं प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा रामपुरिया पटवार मण्डल रामपुरिया में स्थित आराजी संख्या 1097/779 कुल कीता– 1 कुल रकबा 0.6480 हैक्टर में वादी का निहित हक हिस्सा 8/351 शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 से 8 का रखते हुए वर्णित कृषि आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 8 के मध्य नियमानुसार करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

यह प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :— 30 / 2024

गणेशलाल पिता कल्लुलाल जी जाति रेगर निवासी चेची तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

.............वादी

बनाम

1 कालीबाई पति बरदा जी जाति रेगर नि. रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
2 जमनालाल पिता गोमालाल जी जाति रेगर नि. रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
3 भैरूलाल पिता कालु जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
4 मगनीबाई पति कालु जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
5 रतनलाल पिता कालु जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
6 रोडी पिता देवी जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
7 शंकर पिता बरदा जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
8 सोहन पिता बरदा जी जाति रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़
9 श्रीमान भुमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगुँ जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
10 शाखा प्रबंधक महोदयजी, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा चेची तहसील बेगुँ जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

............विपक्षीगण / प्रतिवादीगण

निर्णय प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.10.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :—
अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा रामपुरिया पटवार मण्डल रामपुरिया में स्थित आराजी संख्या 1097 / 779 कुल कीता— 1 कुल रकबा 0.6480 हैक्टर में वादी का निहित हक हिस्सा 8 / 351 शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 से 8 का रखते हुए वर्णित कृषि आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2500 / —रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 8 के मध्य नियमानुसार करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, अंतिम डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

यह प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 872 दिनांक :— 31.10.25

दावा संख्या 30 / 2024 व अनवान गणेशलाल बनाम कालीबाई वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी. एक्ट में जारी प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ